B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Administrative system of vijayanagara empire (PPT)

B.A. Part-2

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था

- विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य की सामाजिक,आर्थिक व सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। यहां के शासकों ने दक्षिण की प्रचलित शासन पद्धति को बनाए रखते हुए भी इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
- हालांकि ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाएं बनी रही किंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गयी। अब ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाओं पर नौकरशाही एवं सामंती व्यवस्था का नियंत्रण स्थापित हो गया। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही नायंकर एवं आयंगर व्यवस्था का भी विकास हुआ।
- विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को हम निम्न शीर्षकों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं –

- केंद्रीय प्रशासन
- प्रांतीय प्रशासन
- स्थानीय प्रशासन
- न्याय प्रशासन
- राजस्व प्रशासन
- सैन्य व पुलिस प्रशासन

केंद्रीय प्रशासन

राजा - विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति राजतंत्रात्मक थी। शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, जिसे 'राय' कहा जाता था। इस काल में प्राचीन राज्य की 'सप्तांग विचारधारा' का अनुसरण किया जाता था। राजा के चुनाव में राज्य के मंत्री एवं नायक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजा का मुख्य कर्तव्य राज्य में न्याय, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना था। सैद्धांतिक तौर पर राजा की शक्ति असीम थी परन्तु वह अनियंत्रित तथा निरंकुश नहीं था। क्योंकि व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं तथा धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी जन समितियां राजा की निरंकुशता के उदय में सबसे बड़ी बाधक थी।

- राजा के बाद 'युवराज' का पद होता था। युवराज राजा का बड़ा पुत्र व राजपरिवार का कोई भी योग्य पुरुष बन सकता था। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की घोषणा कर उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते थे। इस कारण विजयनगर साम्राज्य में उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष की संभावना बहुत कम थी।
- विजयनगर में संयुक्त शासन की परम्परा भी विद्यमान थी जैसे - हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम। युवराज के अल्पायु होने की स्थिति में राजा अपने जीवन काल में ही स्वयं किसी मंत्री को उसका संरक्षक नियुक्त करता था। इस काल में कुछ महत्त्वपूर्ण संरक्षक थे- वीर नरसिंह,रामराय आदि।

मंत्रिपरिषद

- राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण भी रखती थी। मंत्रिपरिषद के मुख्य अधिकारी को 'प्रधानी' या 'महाप्रधानी' कहा जाता था। इसकी स्थिति प्रधानमंत्री जैसी थी। यह पद मुख्यतः मराठा कालीन पेशवा के समान होती थी। यह राजा एवं युवराज के बाद तीसरे स्थान पर होता था। मंत्रिपरिषद में कुल 20 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को 'सभानायक' कहा जाता था।
- मंत्रिपरिषद में विद्वान, राजनीतिक रूप से निपुण व्यक्ति शामिल होते थे। राजा इस मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। केन्द्र में 'दण्डनायक' नाम का उच्च अधिकारी होता था। दण्डनायक को न्यायधीश, सेनापति, गर्वनर या प्रशासकीय अधिकारी आदि का कार्यभार सौंपा जा सकता था।
- मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त विजयनगर प्रशासन में राजपरिषद नामक संस्था का भी अस्तित्व था। राजपरिषद प्रान्तों के नायकों, सामन्त शासकों, विद्वानों व राज्यों के राजदूतों को शामिल करके गठित किया गया, एक विशाल संगठन होता था। केन्द्र में एक संगठित सचिवालय की व्यवस्था की गई थी तथा शासकीय कार्यों को अनेक विभागों में बांटा गया था। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी कर्णिकम या सचिव होता था।

प्रांतीय प्रशासन

- प्रशासनिक सुविधा हेतु विजयनगर साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रांतों (मंडल) में किया गया था। मंडल का विभाजन कोट्टम या वलनाडु (जिला) तथा कोट्टम को नाडुओं (परगना) में बांटा गया था। नाडुओं को 'मेंलाग्राम' में बांटा गया था। एक मेलाग्राम के अन्तर्गत लगभग 50 गाँव होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'उर' या ग्राम थी। विभाजन का क्रम इस प्रकार था : साम्राज्य - मंडल - कोट्टम (वलनाडु)- नाडु- मेलाग्राम -उर।
- प्रान्तों के गर्वनर के रूप में प्रायः राजपरिवार के सदस्य या अनुभवी दण्डनायकों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतीय गवर्नरों का मुख्य कार्य राजस्व की वसूली एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। प्रान्त के गर्वनर को 'भू-राजस्व' का एक निश्चित हिस्सा केन्द्र सरकार को देना होता था।
- गर्वनरों को सिक्के जारी करने, नये कर लगाने, पुराने करों को माफ करने, भूमिदान देने जैसे अधिकार प्राप्त थे। संगम युग में गर्वनरों के रूप में शासन करने वाले राजकुमारों को 'उरैयर' की उपाधि मिली हुई थी।
- प्रांतीय व्यवस्था के साथ-साथ नायंकर व्यवस्था भी प्रचलित थी। चोल युग और विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अन्तर 'नायंकार व्यवस्था' को लेकर ही था।

नायंकर व्यवस्था

- नायंकर व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य की सेना के सेनानायकों को 'नायक' कहा जाता था। इन्हें वेतन के बदले एवं स्थानीय सेना के ख़र्च को चलाने के लिए भूमि दिया जाता था, जिसे 'अमरम' कहा जाता था। चूंकि ये अमरम भूमि का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हे 'अमरनायक' भी कहा जाता था।
- नायकों के दो प्रमुख कर्तव्य थे- पहला, अमरम भूमि की आय का एक हिस्सा केन्द्रीय सरकार के कोष के लिए देना होता था, दूसरा राज्य के लिए सेना का गठन करना। इसके अलावा नायक को अमरम भूमि में शांति, सुरक्षा एवं अपराधों को रोकने के दायित्व का भी निर्वाह करना होता था। साथ ही उन्हें जंगलों को साफ़ करवाना एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी करना होता था। राजा, नायंकारों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इनका पद आनुवंशिक होता था। नायकों का स्थानान्तरण नहीं होता था। नायक के दो अधिकारी - एक नायक की सेना का सेनापति और दूसरा प्रशासनिक अभिकर्ता 'स्थानपति' केंद्र में रहते थे।
- नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए 'महामंडलेश्वर' नामक अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी। यद्यपि नायक भी प्रांतीय गवर्नरों के समान काम करते थे परंतु गवर्नरों से उनकी स्थिति भिन्न थी। इस तरह राजनीतिक संदर्भ में नायकों का स्तर राजा के बाद आता था, जिसका क्रम इसप्रकार है - राजा- नायक- पोलीगर- ग्रामीण प्रमुख।

आयंगर व्यवस्था

- विजय नगर सम्राज्य में प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में गठन किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनकों सामूहिक रूप से 'आयंगार' कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हे पूर्णतः कर मुक्त एवं लगान मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद 'आनुवंशिक' होता था। यह अपने पद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या गिरवी रख सकता था।
- ग्राम स्तर की कोई भी सम्पत्ति या भूमि इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी, और न ही दान दी जा सकती थी। इस आयंगर व्यवस्था द्वारा स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त कर दी गयी। प्रमुख अधिकारी थे सेनाबो (लेखाकार) परुपत्यागर (कर वसूली)।

न्याय प्रशासन

- राजा न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। अपील के लिए सर्वोच्च संस्था राजा की सभा होती थी। न्याय हिंदू विधान के अनुसार होता था तथा धर्मशास्त्र और स्मृतियां न्याय के प्रमुख स्रोत थे। प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय मौजूद थे। दंड विधान अत्यंत कठोर था।

राजस्व प्रशासन

- विजयनगर काल में राजस्व विभाग को ‘अथवन’ कहा जाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। परंतु इसके अलावा भी राज्य की आय के अनेक स्रोत थे- भूमि कर, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, जुर्माना आदि। खेत के स्वरूप (सिंचित, असिंचित) तथा फसलों के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था।
- यह सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। सम्भवतः राजस्व की दर विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग थी। ब्राह्मणों के अधिकार वाली भूमि से उपज का 1/20वां तथा मंदिरों से 1/30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था।
- विजयनगर साम्राज्य में कोई ऐसा वर्ग नहीं था, जिसे व्यवसायिक कर न देना पड़ता हो- बढ़ई, धोबी, नाई सभी कर देते थे। सामाजिक एवं सामुदायिक करो में 'विवाह कर' महत्वपूर्ण था यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। विधवा विवाह कर मुक्त था।
- इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि विजयनगर शासक विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता प्रदान करने तथा विधवाओं की दशा में सुधार लाने की चेष्टा करते थे।

सैन्य व पुलिस प्रशासन

- विजयनगर साम्राज्य में सेना विशाल और सुदृढ़ थी। सैनिक विभाग 'कन्दाचार' कहलाता था। सेना में मुख्यत: पैदल, घुड़सवार, तोपखाने की टुकडियां थी। सैन्य व्यवस्था में ब्राह्मणों की विशेष भूमिका थी। सेना का प्रधान दंडनायक कहलाता था। विजय नगर शासन में शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस व्यवस्था को चलाने के लिए 'अरसूस्वतंत्रम' नामक कर लोगों से वसूला किया जाता था।

निष्कर्ष

- यह सत्य है कि विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कमियां विद्यमान थी जैसे संरक्षकों की प्रभुत्वशाली भूमिका से राज्य कमजोर हुआ साथ ही प्रशासन में सैनिक राज्य के तत्व मौजूद थे, जिसके कारण अनावश्यक युद्धों से जूझना पड़ा और राज्य की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- परंतु इन तमाम कमियां के बावजूद विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस साम्राज्य के राजनीतिक एकीकरण ने आर्थिक संवृद्धि का पृष्ठभूमि तैयार किया जिसकी अभिव्यक्ति कला -संस्कृति के क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। साथ ही राजनीतिक उच्च आदर्श की स्थापना हुई। मध्यकाल में राजा के हित को प्रजा के हित से जोड़ना एक महत्वपूर्ण बात थी।